

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



क्रमांक/स्था./2024/3893

जबलपुर, दिनांक: 24/5/2024

आदेश

माननीय कुलगुरु की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हुये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में होने वाले नैक मूल्यांकन की तैयारियों, कार्य की आवश्यकता एवं अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये आदेश दिनांक से आगामी आदेश तक विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक/अधिकारी माननीय कुलगुरु की अनुमति के बिना एवं समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कुलसचिव की बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश अथवा मुख्यालय से बाहर नहीं रहेंगे।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,

जबलपुर

जबलपुर, दिनांक: 24/5/2024

पृ.क्र/स्था./2024/3893 3-1

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
2. समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
3. सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

सहायक कुलसचिव (स्था.)

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,

जबलपुर